भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–03 / 2017–18

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

श्री बिजय कुमार पात्र, पिता–स्व0 राखाल चन्द्र पात्र .... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य सरकार झारखण्ड (अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा ....विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
21·12·17	यह नामान्तरण अपील वाद अंचल अधिकारी बहरागोड़ा के पत्रांक–335, दिनांक–16 / 06 / 2017, मुख्यमंत्री जन संवाद केन्द्र, झारखण्ड के Grievance N0–2017–37782 एवं अपीलकर्त्ता श्री बिजय कुमार पात्र, पिता–स्व0 राखाल चन्द्र पात्र, निवासी ग्राम–राजलाबाँध, थाना–बहरागोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के आलोक में राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा) को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या–59 / 1998–99 में पारित आदेश के विरूद्ध वाद प्ररम्भ किया गया हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा दायर आवेदन पत्र की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध हैं। निम्न न्यायालय का नामान्तरण मुकदमा संख्या–59 / 1998–99 अप्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता की ओर से Sale of deed No.1022, दिनांक–15.02.1989 की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति, नामान्तरण मुकदमा संख्या–59 / 1998–99 की शुद्धि पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा अपील आवेदन पत्र द्वारा बताया गया हैं कि मौजा–राजलाबांध, थाना नं0–838, खाता नं0–15, प्लॉट नं0–103, रकवा–3½ कट्ठा (7.35 डीसमल) भूमि बिक्री केवला संख्या–1022, दिनांक–15 / 02 / 1989 द्वारा क्रय करने के पश्चात अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या– 59 / 1989–99 के शुद्धि पत्र में उपरोक्त खाता / प्लॉट का रकवा–0.03½ दर्ज किया गया हैं। रकवा अंकित करने के क्रम में कट्ठा या एकड़ उल्लेख नही किया गया हैं। जिससे ऑन लाईन ईन्ट्रीज करने	

में असुविधा हो रहा हैं। नामान्तरण शुद्धि पत्र में रकवा–0.03½ अंकित करते हुए कट्ठा अंकित करने हेतु अनुरोध किया गया हैं।

अंचल अधिकारी, अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा ने अपने पत्रांक–335, दिनांक–16/06/2017 द्वारा दलील संख्या–1022, दिनांक–15/02/1989, लगान रसीद संख्या–8518793, दिनांक–22/03/2000 तथा 2000–2015 तक का लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक श्री बिजय पात्र, पिता–स्व0 राखाल चन्द्र पात्र निवासी डोमजुड़ी ने विक्रय दस्तावेज संख्या–1022, दिनांक–15/02/1989 के द्वारा मौजा–राजलाबॉध, थाना नं0–838, खाता नं0–15, खेसरा संख्या–103 अंश भूमि क्रय किया गया है। नामान्तरण मुकदमा संख्या–59/1998–99 के शुद्धि पत्र में रकवा–0.03½ उल्लेख हैं कट्ठा या एकड़ का उल्लेख नही किया गया है। लगान मात्र–0.10 पैसा उल्लेख हैं। प्रथम वार वर्ष–1999–2000 का लगान रसीद संख्या–8518793, दिनांक–22/03/2000 में आवेदक विजय पात्र के नाम से रकवा–0.03½ कट्ठा होने का लगान रसीद में उल्लेख हैं। अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया हैं कि वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से प्रश्नगत भूमि को अंचल अमीन से नापी कराया गया, मापी के क्रम से सरजमीन पर 0.03.43 कट्ठा यानी 0.0721 डीसमल जमीन आवेदक के दखल में पाया गया। बिक्रय केवला संख्या–1022, दिनांक–15/02/1989, पंजी–II, पंजी–27 एवं शुद्धि पत्र में 0.03½ अंकित किया गया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अपीलकर्त्ता द्वारा समर्पित कागजात का अवलोकन के पश्चात आवेदक का अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा को आदेश दिया जाता है कि रकवा–0.03½ के स्थान पर 0.03½ कट्ठा संशोधन करते हुए नामान्तरण शुद्धि पत्र निर्गत किया जाय।

C.C. of last order is issued on date 24.01.18

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।